



राइटटूरिप्लाईबदलसकताहैमीडियाकाचेहरा

सतीशकुमारसिंह

मॉसकम्यूनिकेशनकेछात्रोंऔरमीडियाकेआधेसेकमसदस्योंकोहीयेपताहैकिग्राइटटूरिप्लाई (उत्तरयासुधारकाअधिकार) क्याहै? वहइसलिएकिइसकीउपयोगिताभीउतनीहीहैजितनीइसकीलोकप्रियता।भारतजैसेलोकतांत्रिकदेशमेंभीग्राइटटूरिप्लाईकमोबेशमीडियाकीमर्सी (दया) परनिर्भरहोकररहगयाहै।लोकतंत्रबिनास्वतंत्रसूचनातंत्रकेकामनहींकरसकता।खास करमीडियामें।औरस्वतंत्रामीडियाघरानोंकाविशेषाधिकारनहींहोनाचाहिए। 1

फ्रीडमआफस्पीड (अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता) केतहतराइटटूरिप्लाईपर काफीसमय से चर्चा होरही है। दरअसल, इस काकांसेप्टहीनिष्पक्षताकेसिद्धांतपरआधारितहै। सटीकता औरनिष्पक्षता (accuracy and fairness) औरमानहानिकेप्रतिसजगता (caution against defamatory writing) दोऐसेबिन्दुहैं, जिनसेराइटटूरिप्लाईकोकाफीहदतकसुनिश्चितकियाजाताहै।लेकिनयेदोनोंहीनैतिकरूपसेजरीहै, कानूनीरूपसेनहीं।

उत्तरकेअधिकारकामतलबहैकिअगरकिसीव्यक्तिपरमीडियामेंहमलाहोताहैयाउसकेसम्मानकोठेसपहुंचतीहैतोविशेषपरिस्थिति (जोराज्यकेअनुसारबदलसकतीहै) कोछोड़करउसव्यक्तिकोअधिकारहोगाकिवहअपनाजवाबउसीमाध्यममेंप्रकाशितकरवाएजहांउसकेबारेमेंपहलेप्रकाशितहुआहै। 2 इसपरमीडियाकर्मियों, खासकरकईसंपादकोंनेकड़ीआपत्तिजताई। उनकामाननाहैकियहफ्रीडमआफस्पीचकेअधिकारकाहननहै।उसपरअंकुशहै।शायदइसीलिएआजतकराइटटूरिप्लाईकोसंवैधानिकदर्जनहींमिलाहै। --

संपादककोअधिकारहैकिवहसरकारकीनीतियोंपरतीखेहमलेकरे, क्योंकिइससेकईविवादास्पदविचारसामनेआतेहैं।लेकिन निश्चितरूपसेएकसंभावितरूपसेबदनामकरनेवालेखकेउत्तरकोप्रकाशितनहींकरनेकाअधिकार मूल्योंकेउसीसीमातकगिरावटकीआशंकाकोजन्मदेताहै।”3

भारत में चाहेउत्तर केअधिकार कोसंवैधानिक दर्जा नहीं है, लेकिन यूरोपमेंऑस्ट्रिया, जर्मनी, फ्रांस, हंगरी, इटली, नीदरलैंड्स, नॉर्वे, स्पेन, स्विट्जरलैंडसमेतकईदेशोंमेंइसेअलग-

अलगकानूनोंकेजरियेकिसीनिकिसीफॉर्ममेंलागूकियागयाहै। (4) यूरोपसेबाहरब्राजीलमेंयेसंविधानकाहिस्साहै।वहांकेलिखितसंविधानमेंडेरिईटोडेरेस्पोस्टा Direito de resposta केरूपमेंहरव्यक्तिकाअधिकारहै।पुर्तगालीकेडेरिईटोडेरेस्पोस्टाकोइंग्लिशमेंराइटऑफरिप्लाईहीकहेंगे।

प्रेसकाउंसिलनेलगायाहैथोड़ाअंकुश

Press Council of India ने NORMS OF JOURNALISTIC

CONDUCT में भी राइटरिप्लाई के बारे में स्पष्ट व्याख्या की है। लिखा है कि जब किसी भी तथ्यात्मक त्रुटि या गलती का पता चलता है या पुष्टि की जाती है, तो समाचार पत्र को गंभीरता के साथ माफी की अभिव्यक्ति का सुधार के साथ प्रकाशन करना चाहिए। इसके लिए किसी भी तरह का शुल्क नहीं लिया जासकता। यदि संपादक को प्रभावित पक्ष की बातों और तथ्यों में विरोधाभास / स्पष्टीकरण की सत्यता या तथ्यात्मक सटीकता पर संदेह है, तो वह अंत में अलग से अपनी बात जोड़ने के लिए स्वतंत्रता पर होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम के माध्यम से रेजोइडर (पीड़ित पक्ष की बात) के अधिकार का दावा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि एक संपादक की विवेकाधीन शक्तियों के भीतर एक सम्मेलन के समाचार का प्रकाशन / कवरेज होता है। 5

यूरोपीय देशों में ये एक कानून

&&&&&&&&&&&&

1974 में ही काउंसिल ऑफ यूरोप में कमेटी ऑफ मिनिस्टर्स ने सभी लोगों को राइटरिप्लाई का अधिकार देने वाला रिजोल्यूशन पास किया था। ये सभी प्रकार के मीडिया (समाचार पत्र, रेडियो, टीवी) के लिए था। 6

2006 में यूरोपीय संघवकाउंसिल ऑफ यूरोप दोनों नेहीराइटरिप्लाई परे कम मंडेशन्स दिए हैं, मगर पूरे यूरोप के लिए इस वर्मान्य का नून ही बन पाया। (7 & 8)

जर्मनी के सभी 16 राज्य राइटरिप्लाई काउंटर प्रेजेंटेशन को कानूनी मान्यता देते हैं। यहां इसका नून का जन्म 1874 में हुआ था, जिस में बाद में बदलाव भी हुए।

ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड दोनों ही देशों में इस अधिकार से जुड़ा कानून बना हुआ है।

फ्रांस में ये कानून 1881 में लागू हुए लॉ ऑन दफ्रीडम ऑफ द प्रेस के आर्टिकल 13 का हिस्सा है। बाद में इसमें संशोधन कर ब्रॉडकास्ट और डिजिटल मीडिया को भी इसके दायरे में लाया गया।

बेल्जियम में 1831 में लागू हुए डिक्री ऑन द प्रेस के आर्टिकल 13 में राइटरिप्लाई का प्रोवीजन दिया गया है। कालांतर में वहां इसमें 2005 तक संशोधन हो तेरहे हैं। प्रिंट, ब्रॉडकास्ट और डिजिटल मीडिया इसके दायरे में आता है।

अमेरिका में राइटरिप्लाई की सभी स्वरूप में लागू ही

संयुक्तराष्ट्रने 24 अगस्त,

1962 को इंटरनेशनल राइटटूकरेक्शन को मान्यता प्रदान की है। अमेरिका में इस अधिकार की कानूनी लड़ाई का काफी रोचक इति हासरहा है। मगर आज की तारीख में वहां राइटऑफरिप्लाई किसी भी स्वरूप में लागू नहीं है।

अमेरिका में इसका कानून पर काफी बहस हो चुकी है। वहां फ्लोरिडा राज्य ने ऐसा का कानून लागू किया था, मगर सुप्रीम कोर्ट में सरकार मिया मी हेराल्ड पब्लिशिंग कंपनी से मुकदमा हार्गाई ये कानून प्रिंटमीडिया से जुड़ा था, जो रद्द कर दिया गया। 9

वही फेडरल कम्युनिकेशन्स कमिशन (एफसीसी) ने 1949 में फेयरनेस डॉक्टराइनल लागू किया था। ये ब्रॉडकास्टर्स से जुड़ा था, जो उन्हें बाध्य करता था कि वे अपने एयरटाइम का कुछ समय जनता के हितों से जुड़े विवादों पर बहस को दें और इसमें काउंटर व्यू को भी प्रेजेंट करें। इसे 1969 में सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। मगर शीर्ष अदालत ने इस पॉलिसी को सही माना। हालांकि 1987 में एफसीसी ने खुद ही इस पॉलिसी को खत्म कर दिया। 2011 में इसे फेडरल रजिस्टर से भी हटा दिया गया।

ब्रिटेन में मीडिया ने लागू किया, पर कानून नहीं

ब्रिटेन में ब्रॉडकास्टर्स व प्रिंटमीडिया संगठनों की अपनी रिगुलेटरी बॉडी जैकेगाइडला इन्स में राइटऑफरिप्लाई तोला गूहा है, मगर कोई कानूनी बाध्यता नहीं है।

बीबीसी British Broadcasting

Corporation (BBC) के संपादकीय दिशा निर्देशों में कहा गया है: जब प्रेस किसी की आलोचना करता है तो जिसकी आलोचना होती है उसे भी "जवाब का अधिकार" दिया जाना चाहिए। हाँ, अगर हम गंभीर आरोपों और अपराधी छवि के लोगों का पक्षले तेहें तो ऐसी स्थिति में संपादकीय नीति को देखना और कानूनी सलाह लेना अनिवार्य होता है। उत्तर का अधिकार के लिए कोई निर्धारित फार्मेट नहीं है। हम एक साक्षात्कार की पेशकश कर सकते हैं; पीड़ित पक्ष से लिखित बयान का अनुरोध कर सकते हैं। टेलीफोन पर हम उन कापक्षले सकते हैं। इन सभी विकल्पों को चुनने का सिर्फ एक ही आधार होगा—अपराध या आरोप की गंभीरता। फार्मेट कुछ भी होले किन्ये सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रभावित पक्ष की सभी जरूरी जानकारी, तथ्य और तर्क प्रकाशित हो जाएं। 10

उत्तर के अधिकार के लिए समय

प्रतिक्रिया की अनुमति के लिए समय की मात्रा को परिस्थितियों के अनुसार बदल जाएगा। समय तय करने के लिए आरोपों की प्रकृति और जटिलता को भी देखना जरूरी है। साथ ये देखना भी जरूरी है कि क्या जनहित में संबंधी समाचारकाप्र सारण तुरंत करना जरूरी है किन्हीं। अगर नहीं तो समय और बढ़ाया जासकता है। निष्पक्ष होने के लिए हमें उन तथ्यों को ही जवाब में शामिल करना चाहिए जिनके बारे में आरोप लगे हों। उन सामग्रियों को शामिल करना आवश्यक नहीं है जिन्हें आरोपों के लिए अप्रासंगिक माना जा सकता है।

अन्यदेशोंकीस्थिति

साउथअफ्रीकाकेसंविधानकेमूलड्राफ्टमेंराइटऑफरिप्लाईमौजूदथा, मगरजबसंविधानलागूआतोउसमेंसेयेहिस्साहटादि यागया। (11)

कईदेशोंमेंअलग-

अलगकानूनोंमेंराइटऑफरिप्लाईकाप्रोवीजनतोहै, मगरस्पष्टतौरपरनहीं।उदाहरणकेलिएब्रिटेनकेमानहानिकानूनमेंयेप्रोवीज नहैकिजिसव्यक्तिकीमानहानिर्हुईउससेउसकापक्षपूछागयाकिनहीं।हालांकियदिमामलमेंआगोपीबनायागयामीडियायेसाबि तकरेकिउसनेपीड़ितसेपक्षजाननेकेलिएअनुरोधदियाथातोमामलाखत्महोजाताहै। (12)

कईदेशोंमेंरिट्रैक्शनयानीखंडनकेजरियेराइटऑफरिप्लाईलागूहै।इनदेशोंमेंयदिमीडिया, अपनीप्रकाशितयाप्रसारितखबरका खंडनछापदेतोमानहानिकेएवजमेंभरेजानेवालेमुआवजेकीराशिकमहोजातीहै। (13)

राइटऑफरिप्लाई : पक्षऔरविपक्ष

राइटऑफरिप्लाई : पक्षऔरविपक्ष

1

इसअधिकारकोलागूकरनेकेपक्षधरयेमानतेहैंकिइसकेजरियेजनतातकपूरीतस्वीरऔरसहीतथपहुंचतेहैं।

जबकिइसकेविरोधीयेमानतेहैंकियेएकसंपादककेअभिव्यक्तिकीस्वतंत्रताकेअधिकारकाहननहै।रिप्लाईकेतौरपरउसेवहबात प्रकाशित/प्रसारितकरनीपड़तीहैजिससेवहसहमतनहींहैऔरजिसेवहगलतमानताहै।

2

अधिकारकेपक्षमेंदलीलदीजातीहैकिलोकतंत्रमेंसूचनाओरअभिव्यक्तिकानिर्बाधप्रवाह, खासतौरपरमीडियामें, अनिवार्य है।मगरइसअधिकारकेबिनाफ्रीडमऑफस्पीचकाअधिकारसिर्फमीडियाघरानोंकीबपौतीबनजाताहै। (14) इसअधिकार केजरियेहीअसलमेंहरव्यक्तिकेफ्रीडमऑफस्पीचकोसुनिश्चितकियाजासकताहै।

विरोधियोंकीदलीलहैकियेअधिकारलागूहोनेसेमीडियाकीवॉचडॉगकीभूमिकाबाधितहोतीहै।इसकीवजहसेमीडियाखुलक रकामनहींकरपाताहै।

3

अधिकारके विरोधियों का कहना है कि इसकी वजह से मीडिया पर अतिरिक्त आर्थिक भार भी पड़ता है। जिस व्यक्तिया समूह के खिलाफ रिपोर्ट पेश की जारही है, उससे पक्षलेने में उसे अतिक्रम चर्चा व अतिरिक्त मानवश्रम लगाना पड़ता है। ऐसे में संभव है कि मीडिया हाउस उस खबर को प्रकाशित/प्रसारित करने से ही कठतरा ए।

अधिकारके पक्षधर कहते हैं कि इसके उलट्यादिपी डिटके पक्ष के जरिये पूरी बात जनता के सामने आती है तो खबर में उसकी रुचि बढ़ा गी। इसकी वजह से मीडिया हाउस को प्रसार संख्याया व्यू अरशि पर्स में बढ़ोतरी काला भमिलेगा।

4

अधिकारके विरोध में दलील दी जाती है कि इसकी वजह से किसी भी विवादित मुद्दे में जनता की रुचि कम हो जाती है। खबर का पैना पन खत्म हो जाता है। जनहित से जुड़े मुद्दों पर भी मामला ठंडा पड़ा जाता है।

अधिकारके पक्षधर कहते हैं कि जनता से जुड़े मुद्दों में ऐसा कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। राइटऑफरिप्लाई की वजह से जनता की रुचि नहीं घटती है। (15)

5

अधिकारके विरोधी कहते हैं कि किसी अखबार या ब्रॉडकास्टर को राइटऑफरिप्लाई के तहत बाध्यनहीं किया जाना चाहिए। जिस व्यक्तिया समूह के विषय में खबर दी जारही है, उसके पास जनता तक अपनी बात पहुंचाने के तमाम माध्यम मौजूद हैं।

अधिकारके पक्षधरों का कहना है कि ये उम्मीद करना गलत है कि एक आमना गिरकएक सेज्यादा अखबार पढ़ेगा। या विवादित मुद्दों पर एक सेज्यादा शो देखेगा। ऐसे में उसे मीडिया में पूरे मामले का सिर्फ़ एक ही पहलू मिलेगा और उसकी धारणा गलत बनेगी।

6

अधिकारके विरोधी, खास तौर पर अमेरिका में, ये मानते हैं कि किसी की मानहानि के एवज में उसे मुआवजा दिया जाना ही सबसे बड़ा अधिकार है। इसके अलावा खंडन भी बाद में प्रकाशित किया जासकता है।

अधिकारके पक्षधर कहते हैं कि कोई भी मुआवजा उस छवि की क्षति पूर्ति नहीं कर सकता जो एक गलत खबर के प्रकाशित/प्रसारित होने से खराब होती है। खंडन अक्सर खबर छपने के काफी समय बाद छपता है और वैसा प्रमुख स्थान नहीं पाता, जितना भ्रामक खबर को दिया गया था। ऐसे में एक गलत खबर से खराब हुई छवि का असर बहुत दूर तक जाता है। (16)

राइटऑफरिप्लाईकासबसेव्यापकस्वरूप

फ्रांसमेंसिर्फखबरोंपरहीनहीं, यदिकिसीव्यक्तियासमूहकीआलोचनामेंकोईवैचारिकलेखछपताहैतोउसपरभीराइटऑफरि प्लाईकेतहतपक्षमांगाजासकताहै।मानाजाताहैकियेराइटऑफरिप्लाईकासबसेव्यापकस्वरूपहै।(17)

राइटऑफरिप्लाईकासंकीर्णतमस्वरूप

कुछदेशोंमेंजिसव्यक्तियासमूहकेखिलाफखबरप्रकाशित/प्रसारितहै, उसेहीयेसाबितकरनाहोताहैकियेखबरतथ्यात्मकरूप सेगलतहै। (18) येराइटऑफरिप्लाईकासंकीर्णतमस्वरूपहै।खबरप्रकाशित/प्रसारितहोनेकेबादबड़नऑफप्रूफयानीउसेस हीसाबितकरनेकीजिम्मेदारीमीडियाकीहीहोनीचाहिए। (19)

राइटऑफरिप्लाईकासख्तस्वरूप

कईदेशोंमेंयदिकिसीव्यक्तियासमूहकीनकारात्मकछविपेशकरतीकोईतथ्यात्मकखबरभीछपतीहैतोउसकेलिएसंबंधितव्य क्ति/समूहकापक्षमांगाजाताहै।जरूरीनहींकिखबरगलतयामानहानिकरनेवालीहो, खबरछापनेकेलिएपक्षमांगाहीजाताहैये राइटऑफरिप्लाईकासख्तस्वरूपहै।इसअधिकारकोलागूकरनेकेलिएयेभेदकरनाजरूरीहैकिकौनसीखबरकथिततौरपरछवि खराबकरतीहैऔरकौनसीतथ्यात्मकरिपोर्टपरआधारितहै। (20)

स्पष्टहैकिजागरूकता औरदंडनीयप्रावधानोंकेअभावमेंराइटटूरिप्लाईमीडियाकीमर्जीपरनिर्भरहोकरहगयाहै।आमलोगोंकेये पताहीनहींकिअगरउनकेसम्मानकोमीडियाबेवजहचोटपहुंचाताहैतोउनकायेहकबनताहैकिवहअपनीबातउसीमीडियाकेज रिएलोगोंतकपहुंचाए।वर्तमानमेंपत्रकारउनकापक्षलेकरभीउनपरउपकारकरतेहैं।अगरयूरोपीयदेशोंकीतरहराइटटूरिप्लाईको कानूनीदर्जामिलेतोआमलोगोंकेहितोंकोकाफीहदतकसंरक्षितकियाजासकताहै।भारतमेंअभीऐसेमामलोंमेंमानहानि (भार तीय दंड संहिता की धारा 499 से 502 के तहत) कानूनकाइस्तेमालकियाजाताहै।

1. This is the famous aphorism of A. J. Liebling, see LIEBLING: *The press*. New York: Ballantine Books, 1964, 30–31.
2. THE RIGHT OF REPLY A *Comparative Approach*, ANDRÁS KOLTAY , page 204
3. ERIC BARENDT: Inaugural Lecture – Press and Broadcasting Freedom: does anyone have any Rights to Free Speech? *Current Legal Problems* (1991) 44, 63. at 71.
4. See generally SANDRA COLIVER: Comparative Analysis of Press Law in European and other Democracies. In *Press Law and Practice – A Comparative Study of Press Freedom in European and other Democracies*. Article 19 – International Centre Against Censorship, 1993, 272–273.
5. Press Council of India, NORMS OF JOURNALISTIC CONDUCT, 2010 Edition, page 17-18
6. Resolution (74) 26, adopted on 2 July 1974. – all instruments of the Council of Europe are available at www.coe.int.

7. Resolution (74) 26, adopted on 2 July 1974. – all instruments of the Council of Europe are available at www.coe.int.
8. Resolution 1003 (1993).
9. *Miami Herald Publishing v. Tornillo*, 418 U.S. 241 (1974).
10. <https://www.bbc.co.uk/editorialguidelines/guidelines/fairness/right-of-reply>
11. STEPHEN SEDLEY: Information as a Human Right. In JACK BEATSON – YVONNE CRIPPS (eds.): *Freedom of Expression and Freedom of Information. Essays in Honour of Sir David Williams*. Oxford: Oxford University Press, 2000, 243.
12. Section 15 (2) of British Constitution
13. COLIVER (n. 4. above), 272–273.
14. This is the famous aphorism of A. J. Liebling, see LIEBLING: *The press*. New York: Ballantine Books, 1964, 30–31.
15. ROGER ERRERA: Press Law in France. In *Press Law and Practice...* (n. 1. above), 68.; ULRICH KARPEN: Freedom of the Press in Germany. In *Press Law and Practice...*(n. 1. above), 87–88.
16. *Ibid.*, at 15.
17. ERRERA (n. 8. above), 68.
18. This is the Hungarian law, for example.
19. See the “presumption of falsity” in the United Kingdom and the *McVicar v. UK*(2002) decision by the European Court of Human Rights, 35 EHRR 22.
20. *Ibid.* 272. – This is the German, Dutch, Norwegian and Spanish solution.